माननीय प्रबन्ध परिषद की तृतीय बैठक दिनांक 07.11.2003 का कार्यवृत्त

माननीय प्रबन्ध परिषद की तृतीय बैठक दिनांक 07.11.2003 को प्रातः 11.00 बजे भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, रायबरेली रोड लखनऊ के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई ।

माननीय प्रबन्ध परिषद की बैठक में उपस्थिति निम्नवत् थी –

1	डा0 पी0 पी0 सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
2	श्री ओम प्रकाश शर्मा	सदस्य
3	श्री आर0 पी0 सिंह, विशेष सचिव (वित्त)	सदस्य
4	ठा0 भगवान सिंह	सदस्य
5	डा0 जे0पी0 मिश्रा, ए.डी.जी. (सी.एस.सी.) आई.सी.ए.आर.	सदस्य
6	श्री ए0 के0 सिंह, निदेशक (पशुपालन)	सदस्य
7	श्री हेमन्त कुमार सक्सेना, वित्त नियन्त्रक	सचिव

माननीय प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हुये माननीय कुलपति जी/अध्यक्ष ने प्रबन्ध परिषद की तृतीय बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की।

संकल्प –1 माननीय प्रबन्ध परिषद की द्वितीय बैठक दिनांक 22.7.2003 के कार्यवृत्त की पुष्टि

माननीय प्रबन्ध परिषद की द्वितीय बैठक दिनांक 22.7.2003 के कार्यवृत्त की पुष्टि सर्वसम्मति से की गयी ।

संकल्प –2 दिनांक 14.11.2003 को विश्वविद्यालय परिसर में प्रथम दीक्षान्त समारोह का आयोजन

माननीय प्रबन्ध परिषद ने सर्वसम्मति से दिनांक 14.11.2003 को विश्वविद्यालय परिसर में प्रथम विशेष दीक्षान्त समारोह के आयोजन हेतु अनुमोदन प्रदान किया साथ ही विद्वत परिषद के संस्तुति के अनुसार श्री स्वामी कल्याण देव जी एवं श्री जगदीश प्रसाद माथुर को मानद् उपाधि साहित्य वारिधि से विभूषित करनें हेतु संकल्प पारित किया । डा0 एम0 एस0 स्वामीनाथन, डा0 रोनाल्ड पी0 कैन्ट्रल, डा0 आर0 एस0 परोदा, डा0 मंगला राय एवं डा0 एम0 सी0 सक्सेना को डी0 एस0 सी0 की मानद् उपाधि से विभूषित करनें हेतु संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा यह भी पारित किया गया कि उपर्युक्त विशिष्ट व्यक्तियों को मानद उपाधि से विभूषित करने से पूर्व उक्त का अनुमोदन माननीय कुलाधिपति महोदय से प्राप्त कर लिया जाय ।

संकल्प – 3 (क)**माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा परिचालन द्वारा पारित संकल्प की पुष्टि**

विश्वविद्यालय के पत्र संख्या स0व0भा0प0वि0वि0 /283/2003 दिनांक 22.8. 2003 द्वारा परिचालन द्वारा प्रेषित निम्नवत् किया गया था ।

"पारित किया जाता है कि निदेशक, शोध एवं प्रसार 1 पद ,अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय 1 पद , प्राध्यापक ,शस्य विज्ञान 1 पद एवं सह प्राध्यापक, शस्य विज्ञान 1 पद के लिये सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये एवं कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत प्राध्यापक , शस्य विज्ञान 1 पद एवं सह प्राध्यापक ,शस्य विज्ञान 1 पद पर प्रोन्नति हेतु चयन समिति की संस्तुतियों के बन्द लिफाफो को खोलने एवं चयन समिति की संस्तुति के अनुसार नियुक्ति /प्रोन्नति करने के लिये कुलपति जी को अधिकृत किया जाता है ।"

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा परिचालन द्वारा पारित उपरोक्त संकल्प की सर्व सम्मति से पुष्टि की गयी ।

संकल्प –3(ख) **कृषि विज्ञान केन्द्रों की नियुक्तियाँ**

मुख्य कार्मिक अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि महामहिम राज्यपाल/ कुलाधिपति द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ सहित विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत गठित चयन समिति द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों के निम्न पदों पर नियुक्ति हेतु अपनी संस्तुतियाँ लिफाफों में सील बन्द की गयीं हैं –

S. No	Name of Post	No. of Posts			
		Gen.	OBC	SC	Total
1.	Training Organizer/Associate, Director Extension (Rs. 12,000 -18,300)	02	01	01	04
2.	Training Associate/Assistant Professor (Rs.8,000-13,500)				22
	1. Agriculture Engineering	01	-	-	01
	2. Agronomy	01	-	01	02
	3. Animal Science	01	01	01	03
	4. Fisheries	02	01	-	03
	5. Home Science	02	01	01	04
	6. Horticulture	01	01	01	03
	7. Plant Breeding	01	-	-	01
	8. Plant Protection (Entomology/Plant Pathology)	02	02	-	04
	9. Soil Science	-	-	01	01

वर्तमान में शासन द्वारा नियुक्तियों पर लगा प्रतिबन्ध शीघ्र ही हटने की सम्भावना हैं एवं प्रबन्ध परिषद की शीघ्र ही पुनः बैठक बुलाना अव्यवहारिक होगा । उपरोक्त प्रस्तावित नियुक्तियाँ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शतप्रतिशत वित्त पोषित हैं । ये पद काफी लम्बे समय से रिक्त पड़े है जिसके कारणवश कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्य कलापों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुदान का उपभोग नहीं किया जा रहा है । अतः समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा उपरोक्त सीलबन्द लिफाफों को खोलने एवं नियुक्ति करने हेतु सर्वसम्मति से माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया ।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव

अ–1 **प्रशिक्षण सहायकों (अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 1740–3000) द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक 24.5.2003 के द्वारा शैक्षणिक अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 8000–13500 की माँग पर विचार**

माननीय प्रबन्ध परिषद ने प्रशिक्षण सहायकों के प्रकरण में माननीय विद्वत परिषद की बैठक दिनांक 1.11.2003 में पारित संकल्प–2 से सहमति व्यक्त की एवं सर्वसम्मति से पारित किया गया कि प्रशिक्षण सहायक शिक्षक नही है । साथ ही यह भी पारित किया गया कि इन्हे शिक्षक घोषित नही किया जा सकता है । इन्हें शासन द्वारा स्वीकृत अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 5500–9000 अनुमन्य है । यह भी पारित किया गया कि शासनादेश सं0 वे0 आा0 –2–211 /दस–2001–45(एम)/99 दिनांक 6.2.01 के अनुसार इन्हें समयमान वेतनमान की सुविधा जारी रखी जाए।

अ – 2 **प्रवेश परीक्षा के आयोजन पर देय पारिश्रमिक की दरों की स्वीकृति के सम्बन्ध में**

पारित किया गया कि विश्वविद्यालय की स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा के संचालन एवं परीक्षाफल निर्गत आदि सम्बन्धी कार्यो के लिए निम्न दर पर पारिश्रमिक के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

S.N0.	Particulars	Amount
1	Examination Coordinator	Rs. 10,000/-
2	Joint Examination Coordinator	Rs. 5,000/-

3	Paper setting	Rs. 3/- per question
4	Observers	Rs. 600/- per head
5	Invigilators	Rs. 400/- per head
6	Evaluation of answer sheet	Rs.0.25/- per question
7	Re-evaluation of answer sheet	Rs.0.25/- per question
8	Tabulation and preparation of results	Rs. 2/- per candidate per head
9	Public Relation Officer	Rs. 500/-
10	Computer workers/Steno/Clerks/Accountants	Rs. 400/- per head
11	Security Officer	Rs. 300/-
12	Attendants/Helpers	Rs. 200/- per head
13	Members Admission Committee	Rs. 1000/- per head
14	Member Counseling Committee	Rs. 600/- per head

उपरोक्त व्यय भार प्रवेश परीक्षा में प्राप्त आय से वहन किया जायेगा । उक्त दरें वर्ष 2003 में आयोजित प्रवेश परीक्षा पर भी लागू होगी ।

अ –3 माननीय प्रबन्ध परिषद की द्वितीय बैठक दिनांक 22.7.2003 में पारित संकल्पों की अनुपालन आख्या ।

माननीय प्रबन्ध परिषद की द्वितीय बैठक दिनांक 22.7.2003 में पारित संकल्पों पर वित्त नियन्त्रक/सचिव प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गयी जिस पर निम्नानुसार माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा आदेश पारित किये गये ।

संकल्प –1 **माननीय प्रबन्ध परिषद की प्रथम बैठक दिनांक 24.12.2002 के कार्यवृत्त की पुष्टि**

कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है ।

संकल्प—2

(मद सं.2) **विश्वविद्यालय के गठन पर संक्षिप्त विवरण**

माननीय प्रबन्ध परिषद के निदेशानुसार आगरा मण्डल को विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र में बनाये रखने के लिये विश्वविद्यालय के पत्र संख्या 635/2003 दिनांक 7.8.2003 व पत्र संख्या 999/2003 दिनांक 24.10.2003 द्वारा शासन से अनुरोध किया गया है । माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा प्रश्नगत प्रकरण का अनुश्रवण करने हेतु निर्देशित किया गया ।

(मद सं0—3) **विश्वविद्यालय की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति**

माननीय प्रबन्ध परिषद को अवगत कराया गया कि जल निगम द्वारा शासनादेश संख्या 108—वी0आई0पी0—12—8—03—1500(89)/02 दिनांक 9.5.2003 के अनुपालन में रू0 89.00 लाख के सीमा के अन्तर्गत बाउन्ड्रीवाल, पेयजल, सीवरेज का निर्माण कार्य करने हेतु आदेशित किया गया था किन्तु जल निगम द्वारा अभी तक लगभग रू0 12.00 लाख का ही निर्माण कार्य किया गया है । विश्वविद्यालय द्वारा वस्तुस्थिति से शासन को अवगत करा दिया गया है एवं शासन स्तर से आगामी आदेश अपेक्षित है। माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा आदेशित किया गया कि शासन को पुनः वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए उक्त प्रकरण में उचित आदेश पारित करनें हेतु अनुरोध किया जाय ताकि विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यो पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

(मद सं0—10) **विश्वविद्यालय कार्यों एवं सम्पत्तियों के रख रखाव हेतु तकनीकी पदों की स्वीकृति के सम्बन्ध में**

माननीय प्रबन्ध परिषद को अवगत कराया गया कि शासन स्तर से अवर अभियन्ता (सिविल) 1 पद, अवर अभियन्ता (इलैक्ट्रानिक) 1 पद, अवर अभियन्ता (विधुत) 1 पद, कुल तीन पदों के सृजन हेतु अन्तिम आदेश पारित नही हुए हैं । आदेशित किया गया कि उक्त प्रकरण का शासन स्तर पर अनुश्रवण किया जाय ।

(मद सं0—11) **कुलपति जी हेतु रू0 2.00 लाख का गुप्त फण्ड का प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में**

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा निर्देशित किया गया कि रू0 50000.00 के गोपनीय फण्ड की स्वीकृति हेतु शासन स्तर पर अनुश्रवण किया जाय ।

(मद सं0–13) **विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों/वैज्ञानिकों को अपने पद के अतिरिक्त कार्य दायित्व दिये जाने के सन्दर्भ में**

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा निर्देशित किया गया कि कुल सचिव के पद को वेतनमान 16400–22400 में उच्चीकृत करने हेतु प्रकरण का अनुश्रवण किया जाय ।

(मद सं0–16) **पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा हस्तान्तरित 55 रिक्त पदों के भरे जाने के सम्बन्ध में**

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा निर्देशित किया गया कि माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा स्वीकृत 24 पदों को भरने हेतु शासन से स्वीकृति प्राप्त करने के लिये अनुश्रवण किया जाय ।

(मद सं0–20) **डिस्टेन्स एजुकेशन के माध्यम से पाठ्यक्रम चलाये जाने के सम्बन्ध में**

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा पारित किया गया कि डिस्टेंस एजूकेशन में "आथोराइज्ड स्टडी सेन्टर" द्वारा शिक्षण के उच्च माप दण्ड (स्टैण्डर्ड) बनाये रखने के लिए निम्न समिति का गठन किया जाता है –

1	कुलपति जी	अध्यक्ष
2	नियन्त्रक	सदस्य
3	श्री ब्रहमानन्द शर्मा	सदस्य
4	डा0 ओ0पी0सिंघल	सदस्य
5	श्री शोभित मिश्रा	सदस्य
6	कुल सचिव	सचिव/सदस्य

प्रबन्ध परिषद ने निर्देशित किया कि डिस्टेन्स एजुकेशन में "स्टैण्डर्ड" बनाये रखने के लिये ब्लू प्रिन्ट (कार्ययोजना) माननीय प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाय ।

संकल्प–3 **नियुक्तियों के सम्बन्ध में**

(अ) **शासन द्वारा स्वीकृत पदों के विरूद्ध नियुक्तियॉ**

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा कृतकार्यवाही अवलोकित की गयी ।

(ब) कैरियर एडवान्समेंट स्कीम के अन्तर्गत प्रोन्नतियॉ

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा कृतकार्यवाही अवलोकित की गयी ।

(स) पर्सनल प्रमोशन स्कीम के अन्तर्गत प्रोन्नतियॉं

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा कृतकार्यवाही अवलोकित की गयी ।

संकल्प –4 **अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षकों के चयन के लिये न्यूनतम अहर्ता का निर्धारण**

अवलोकित ।

संकल्प–5 **कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना**

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा निर्देशित किया गया कि कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में 46 पदों के सृजन हेतु शासन स्तर पर अनुश्रवण किया जाय ।

संकल्प–6 **कॉलेज ऑफ टेक्नालॉजी की स्थापना**

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा निदेर्शित किया गया कि भवन निर्माण के लिये शासन को प्रेषित आगणन रू0 12.45 करोड हेतु स्वीकृति एवं अनुदान स्वीकृति के लिये शासन स्तर पर अनुश्रवण किया जाए। जहॉं तक कॉलेज हेतु पदों के सृजन का प्रश्न है, उक्त प्रकरण प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया गया ।

संकल्प–7 **कालेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की स्थापना**

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के भवन निर्माण के लिये शासन को प्रेषित आगणन रू0 10.76 करोड हेतु स्वीकृति एवं अनुदान स्वीकृति के लिये शासन स्तर पर अनुश्रवण करने के लिये निर्देशित किया गया। जहॉं तक कॉलेज हेतु पदों की सृजन का प्रश्न है, उक्त प्रकरण प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया गया।

संकल्प–8 **कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउन्डेशन की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय की भूमि लीज़ पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।**

कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

संकल्प–9 **पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा हस्तान्तरित 55 रिक्त पदों में से शेष 31 पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में**

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा स्वीकृत 16 पदों को भरने हेतु शासन स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रकरण का अनुश्रवण किया जाय ।

संकल्प –10 **कृषि महाविद्यालय के लिये 1:2:3 में शैक्षणिक पदों के सृजन हेतु**

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा स्वीकृत 42पदों के सृजन हेतु शासन स्तर पर अनुश्रवण किया जाय ।

संकल्प–11 **विश्वविद्यालय में नवीन पदों के सृजन हेतु**

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा स्वीकृत 169 पदों के सृजन हेतु शासन स्तर पर अनुश्रवण किया जाय ।

संकल्प –12 **सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय शिक्षकों को विश्वविद्यालय में पुर्ननियोजित करने के सम्बन्ध में ।**

अवलोकित ।

संकल्प –13 **कुलपति जी के विवेकाधीन रू0 10.00 लाख का विवेकाधीन कोष के प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में ।**

उक्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त यह पारित किया गया कि कुलपति के विवेकाधीन रू0 10.00 लाख का विवेकाधीन कोष के प्राविधान के सम्बन्ध में अन्य कृषि विश्वविद्यालयों से सूचना प्राप्त कर ली जाए एवं तद्नुसार ही प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय ।

अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

संकल्प (अ–1) **डा0 हंसराज सिंह , सह प्रशिक्षक (शस्य) की प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में ।**

अवलोकित ।

संकल्प (अ–2)**ई0 नरेश चन्द्र गुप्ता ,विषय वस्तु विशेषज्ञ,कृषि अभियन्त्रण के अवकाश प्रकरण के सम्बन्ध में ।**

अवलोकित ।

संकल्प (अ–3) **डा0 लेख राज सिंह , वरिष्ठ शोध अधिकारी के सम्बन्ध में ।**

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आगामी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया ।

संकल्प (अ–4) **कॉलेज आफ होम साइन्स की स्थापना ।**

कॉलेज ऑफ होमसाइन्स में पदों के सृजन के सम्बन्ध में प्रस्ताव माननीय प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया ।

संकल्प (अ–5) **कॉलेज आफ हॉर्टीकल्चर की स्थापना ।**

कॉलेज ऑफ हॉटीकल्चर में पदों के सृजन के सम्बन्ध में प्रस्ताव माननीय प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया ।

संकल्प (अ–6) **कॉलेज ऑफ एग्रो फारेस्ट्री की स्थापना ।**

कॉलेज ऑफ एग्रोफारेस्ट्री में पदों के सृजन के सम्बन्ध में प्रस्ताव माननीय प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया ।

अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न की गई ।

18.11.03

(हेमन्त कुमार सेक्सेना)
वित्त नियन्त्रक/सचिव

अनुमोदित

18/XI/03

(पी0पी0सिंह)
कुलपति/ अध्यक्ष ,प्रबन्ध परिषद